



जनपद बिजनौर


प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 22.06.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अवैध खनन में संलिप्त 03 डम्पर व एक जेसीबी मशीन को किया सीज ।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में दिनांक 21/22.06.2024 की रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम श्यामाबाद के जंगल में मौके पर एक बिना नम्बर प्लेट की जेसीबी मशीन व तीन डम्पर मिट्टी का खनन कार्य करते पाये गए । मिट्टी खनन के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत न किये जाने पर पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन में संलिप्त उपरोक्त जेसीबी मशीन (बिना नम्बर प्लेट) व तीन डम्पर रजि0 नं0 क्रमशः 1.UP23AT-3804, 2.UP20AT-8755 व 3.UP20AT-8338 को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया तथा सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई ।




सीज किये गये वाहनों का विवरण –

1. एक जेसीबी मशीन (बिना नम्बर प्लेट)
2. डम्पर रजि0 संख्या UP23AT-3804
3. डम्पर रजि0 संख्या UP20AT-8755
4. डम्पर रजि0 संख्या UP20AT-8338

पुलिस टीम का विवरण –

- 1.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 07 नितेश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1640 अनुज काम्बोज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2522 जितेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 22.06.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम, 120बी भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित हिस्ट्रीशीटर/जिलाबदर अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.06.2024 थाना नहतौर पुलिस द्वारा चेंकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मौ0 जोशियान के निकट ट्रक संख्या HR45D5760 को पकडा गया, जिसमें से 02 सांड व 13 गाय कुल 15 गोवंशीय पशु बरामद किये गये । ट्रक ड्राइवर व हेल्पर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये । इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । गौवंशीय पशुओं को नियमानुसार गौशाला भिजवाया गया ।



अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 1.इकराम उर्फ भूरा पुत्र खलील मुल निवासी ग्राम बहेडा थाना ककरोली जनपद मुजफ्फरनगर हाल पताग्राम तरकोला थाना नहतौर जनपद बिजनौर 2.सलीम उर्फ सालिम पुत्र जहुर हसन निवासी ग्राम मिट्टी थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा 3.धर्मवीर सिंह पुत्र जय सिंह निवासी मौ0 डेरा कालोनी थाना लाडवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा 4.सारिम पुत्र राशिद 5.राशिद पुत्र सफीक निवासीगण ग्राम तरकौला उर्फ ताहरपुर सैद थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । दिनांक 16.06.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1.इकराम 2.सलीम उर्फ सालिम व 3.धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया जा चुका है । अभियोग में धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम, 120बी भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.सारिम पुत्र राशिद 2.राशिद पुत्र सफीक निवासीगण ग्राम तरकौला उर्फ ताहरपुर सैद थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त सारिम उपरोक्त थाना नहतौर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या-138A है। दिनांक 23.02.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त सारिम को 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 246/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 बनाम सारिम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सारिम (हिस्ट्रीशीटर) पुत्र राशिद निवासी ग्राम तरकौला उर्फ ताहरपुर सैद थाना नहतौर बिजनौर
2. राशिद पुत्र सफीक निवासी ग्राम तरकौला उर्फ ताहरपुर सैद थाना नहतौर जनपद बिजनौर

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सारिम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 219/19 धारा 323/325/504 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 101/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 31/23 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 व 3/5/8 गौ वध अधि0 थाना नहतौर बिजनौर
4. मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0, 120 बी भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नहतौर बिजनौर
5. मु0अ0सं0 246/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 219/19 धारा 323/325/504 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0, 120बी भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री रोबिन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 390 देवेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 514 मनीष कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. कां0 1073 अमित मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 22.06.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 172/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.06.2024 को वादी श्री योगेश कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों 1.ऋतिक पुत्र तुलाराम 2.हुकम सिंह पुत्र परशे 3.जयसिंह पुत्र तुलाराम समस्त निवासीगण ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नीयत से लाठी-डन्डों से वार किया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम ऋतिक आदि 03 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.06.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ऋतिक पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

ऋतिक पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2429 सुमित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 22.06.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 179/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि में
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादी सलीम पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों 1. फरमान पुत्र अब्दुल गफ्फार 2. वसीम पुत्र शफीक अहमद 3. जावेद पुत्र रशीद निवासी गण ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नीयत से लोहे की रोड से वार किया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 179/24 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम फरमान आदि 03 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.06.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों फरमान पुत्र अब्दुल गफ्फार व जावेद पुत्र रशीद निवासी गण ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता –

1. फरमान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. जावेद पुत्र रशीद निवासी ग्राम पावटी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. का0 47 तालिम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 22.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 214/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.06.2024 को वादी मुकीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला निवासी मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त 1. शमीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला 2.शमीमा पत्नी शमीम अहमद 3.अनश पुत्र शमीम अहमद 4.मुबशरी पत्नी नसीम अहमद समस्त निवासीगण मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी की पत्नी के ऊपर जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डों से वार किया गया, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 214/2024 धारा 307/504/506 भादवि बनाम शमीम अहमद आदि 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शमीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला निवासी मौहल्ला नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डण्डे सहित गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शमीम अहमद पुत्र हिमायतुल्ला निवासी मौहल्ला नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 हरवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 153 ब्रजमोहन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2540 प्रेमचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 22.06.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 182/2024 धारा 323/308/504/506 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादी श्री शकील अहमद पुत्र स्व0 जमीर अहमद निवासी ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 20.06.2024 को अभियुक्तगण 1.मौ0 यासर उर्फ चाँदू पुत्र मौ0 शाकिर 2.मौ0 नाजिश पुत्र मौ0 शहजाद 3.मौ0 जुल्फकार उर्फ निलोफर पुत्र इकरामुलहक 4.शादाब पुत्र अनवार अहमद समस्त निवासीगण ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा क्रिकेट मैच हारने के पश्चात वादी के भाई अकील व भतीजे अमीर के साथ गाली-गलौच करते हुए बैट / विकेट से मारपीट की गयी, जिससे वादी के भाई एवं भतीजे को गम्भीर चोटें आयी तथा अमीर मौके पर ही बेहोश हो गया तथा वादी के पैर में भी विकेट मार दिया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 182/2024 धारा 323/308/504/506 भादवि बनाम मौ0 यासर उर्फ चाँदू उपरोक्त आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित वांछित अभियुक्तगण 1.मौ0 यासर उर्फ चाँदू पुत्र मौ0 शाकिर 2.मौ0 नाजिश पुत्र मौ0 शहजाद 3.मौ0 जुल्फकार उर्फ निलोफर पुत्र इकरामुलहक 4.शादाब पुत्र अनवार अहमद समस्त निवासीगण ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.मौ0 यासर उर्फ चाँदू पुत्र मौ0 शाकिर निवासी ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.मौ0 नाजिश पुत्र मौ0 शहजाद निवासी ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.मौ0 जुल्फकार उर्फ निलोफर पुत्र इकरामुलहक निवासी ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना बिजनौर
- 4.शादाब पुत्र अनवार अहमद निवासी ग्राम जमालपुर मतलूब थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सरवेज खाँ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1818 सोनू थाना नगीना बिजनौर
- 3.कां0 1591 प्रदीप थाना नगीना बिजनौर
- 4.कां0 1167 मौ0 आरिफ थाना नगीना बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 22.06.2024

**थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 138/24 धारा 147/148/149/323/325/308/506 भादवि में
वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादी हारून पुत्र दिलावर निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि उसके गांव के ही रहने वाले अभियुक्तगण 1.शाहरुख पुत्र अलीजान 2. रियाज पुत्र अलीजान 3.जीशान पुत्र जफर 4. फिरोज पुत्र दिलदार 5. विशाल अहमद पुत्र दिलदार 6. फुरसत पुत्र दिलदार नें एक



राय होकर वादी के भाई मस्तान के साथ मारपीट कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 138/2024 धारा 147/148/149/323/325/308/506 भादवि बनाम शाहरुख सहित 06 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण रियाज पुत्र अलीजान निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व फिरोज पुत्र दिलदार निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रियाज पुत्र अलीजान निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 2.फिरोज पुत्र दिलदार निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रियाज उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 73/2019 धारा 147/307/323/324/325/427/452/504/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
2. मु०अ०सं० 138/2024 धारा 147/148/149/323/325/308/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फिरोज उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 83/2021 धारा 323/324/325/427/504/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 138/2024 धारा 147/148/149/323/325/308/506 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री हरेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
2. हे०का० 166 अंकुर पंवार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
3. का० 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 22.06.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 156/2024 धारा 147/323/307/352/504/34 भादवि में
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2024 को थाना नगीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी में रात्रि करीब 20.00 बजे दो पक्षों ने एक दूसरे के साथ जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो से मारपीट की, जिसमें दोनो पक्षों के कई लोग घायल हो गये । इस सम्बंध में थाना नगीना पर प्रथम पक्ष के 1.श्रीराम पुत्र बिहारी 2.संदीप 3.मोनू 4.अभिषेक उर्फ कल्लन पुत्रगण श्रीराम 5.रेवती पुत्री श्रीराम 6.अन्नु पुत्र सन्दीप एवं द्वितीय पक्ष के 7.नरेन्द्र पुत्र रघुवा सिंह 8.सुबोध 9.रोहन पुत्रगण हिम्मत 10.दीपक 11.जितेन्द्र



पुत्रगण राजेश 12.प्रिंस पुत्र सुनील समस्त निवासीगण ग्राम महावतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर के विरुद्ध मु0अ0सं0 156/2024 धारा 147/323/307/352/504/34 भादवि पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा 10 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.रोहन कुमार पुत्र हिम्मत सिंह 2.दीपक पुत्र राजेश कुमार निवासीगण ग्राम महारतपुर कलां उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रोहन कुमार पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम महारतपुर कलां उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.दीपक पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम महारतपुर कलां उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सरवेज खाँ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1167 आरिफ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1591 प्रदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 22.06.2024

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 120/24 धारा 452/376/323/325 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.06.2024 को वादिनी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मुर्सद अली पुत्र नामे अली निवासी शाहनगर कुराली थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ गलत कार्य किया गया तथा वादिनी के पति व सास के साथ मारपीट की गई जिससे वादिनी की सास का हाथ टूट गया । तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 452/376/323/325 भादवि बनाम मुर्सद अली उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुर्सद अली पुत्र नामे अली निवासी शाहनगर कुराली थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुर्सद अली पुत्र नामे अली निवासी शाहनगर कुराली थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री मुन्ना लाल गौतम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 656 बिजेन्द्र सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2454 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 22.06.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 291/24 धारा 363/354/506 भादवि व 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादिनी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अकबर पुत्र मौ0 अरशद निवासी मौहल्ला शीशग्रान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर वादिनी की नाबालिग पुत्री व वादिनी की देवरानी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया तथा उनके साथ गलत हरकते की गई । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 291/24 धारा 363/354/506 भादवि व धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट बनाम अकबर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अकबर पुत्र मौ0 अरशद निवासी मौहल्ला शीशग्रान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अकबर पुत्र मौ0 अरशद निवासी मौहल्ला शीशग्रान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1018 नीरज कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।